राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनु–1)

प. 25(9)प्रसु/सम/अनु–1/2019 दिनांकः–15.12.2020

आदेश

आमजन के हित में सरकार द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को त्वरित गति से लागू करने के लिये राजकीय कार्यालयों में फाइलों का समयबद्ध निस्तारण एवं समस्त पत्रावलियों के मूवमेंट को ट्रेक करने के क्रम में File Tracking Management System लागू किया जाना है।

विभागों के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गणों से विचार विमर्श के उपरांत इस प्रणाली को 26.01.2021 तक शत प्रतिशत रूप से क्रियान्वित किया जाना है। अतः राज्य सरकार के समस्त विभाग/बोर्ड/निगम/मंडल/स्वायत्तशाषी संस्थाएं इसकी पालना सुनिश्चित करें।

इसी के साथ पत्रावलियों के मूवमेन्ट ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन किये जाने के क्रम में प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों में 'ई–फाइलिंग' प्रणाली को लागू किया जाना है। इस संदर्भ में विभागीय आवश्यकताओं, अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता आदि की समीक्षा एवं प्रणाली को लागू किये जाने के संदर्भ में सुझाव देने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग – अध्यक्ष
2. श्रीमति श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग – सदस्य
3. श्री राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग – सदस्य
4. श्री आशुतोष ए. पेडणेकर, प्रबंध निदेशक, रिको – सदस्य
5. श्री वीरेन्द्र सिंह, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग – सदस्य सचिव
6. श्री सौरभ श्रीवास्तव, अति. महानिदेशक, प्रशासन एवं कानून व्यवस्था – सदस्य
7. श्रीमति मलिनी अग्रवाल, अति. महानिदेशक, कारागार – सदस्य

उक्त समिति ई–फाइलिंग प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वन के संबध में रिपोर्ट 31.03.2021 तक प्रस्तुत करेगी।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
4. निजी सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त बोर्ड/समस्त निगम/समस्त स्वायत्त शाषी संस्थाएं
5. रक्षित पत्रावली

(अश्विनी भगत)
प्रमुख सचिव